महत्वपूर्ण

संख्या–389/35–आ–1/2012

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1– कृषि उत्पादन आयुक्त,
2– अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

राज्य योजना आयोग–1 दिनांक : 16 मई, 2012

विषयः–उत्तर प्रदेश के विकास हेतु शासन का एजेण्डा।

महोदय,

विभिन्न विकास योजनाओं व कार्यक्रमों को प्रभावी एवं समयबद्ध ढंग से संचालित करके उनका लाभ जनता तक पहुँचाना आवश्यक है। विभिन्न विभागों द्वारा प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। एक ओर जहाँ विभागों का यह दायित्व है कि उनकी सभी विभागीय योजनायें प्रभावी ढंग से कार्यान्वित हों, वहीं दूसरी ओर विकास से सम्बंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजनाओं को प्राथमिकता पर कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता है ताकि उनके प्रभावी कार्यान्वयन से अल्प अवधि में अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो सके। इस अनुक्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत महत्वपूर्ण मदों/कार्यक्रमों/योजनाओं को सम्मिलित करते हुए "उत्तर प्रदेश के विकास हेतु शासन का एजेण्डा" निर्धारित किया गया है जिसकी प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

विकास एजेण्डा में वित्तीय संसाधन, भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स, कृषि, उद्योग, अवस्थापना एवं लोक निर्माण, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, ग्राम्य विकास, सिंचाई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, नगरीय सुविधायें, श्रम आदि सेक्टरों को शामिल किया गया है तथा प्रत्येक सेक्टर के विशिष्ट कार्य–बिन्दुओं को चिन्हित किया गया है।

विकास एजेण्डा के समस्त कार्य–बिन्दुओं पर अग्रेतर कार्यवाही हेतु उनसे सम्बन्धित कार्य योजना तैयार की जानी होगी। तत्पश्चात् प्रत्येक कार्य–बिन्दु के माइल्स्टोन, समय सारिणी, अनुश्रवण हेतु प्रारूप विकसित किये जाने होंगे। ये कार्य

समस्त विभागों द्वारा युद्धस्तर पर प्रारम्भ कर दिये जायें ताकि इन बिन्दुओं का अगले माह से नियमित अनुश्रवण किया जा सके। चुनाव घोषणा पत्र की शेष घोषणाओं को भी योजनाओं में परिवर्तित करने की कार्रवाई अतिशीघ्र की जाये जिससे उनका भी क्रियान्वयन प्रारम्भ करते हुए नियमित अनुश्रवण हो सके।

यह अवगत कराना समीचीन होगा कि यह विकास एजेण्डा आगामी वर्ष में समस्त विकास सम्बन्धी गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु होगा। विकास एजेण्डा के क्रियान्वयन का मासिक अनुश्रवण मुख्य सचिव द्वारा किया जायेगा तथा यथासम्भव इस एजेण्डा का त्रैमासिक अनुश्रवण मा. मुख्य मंत्री जी द्वारा किया जायेगा।

अतः आप सबसे अपेक्षा है कि विकास एजेण्डा के बिन्दुओं को अपनी विभागीय समीक्षा में शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करते हुए उसके उद्देश्यों की पूर्ति समय–सीमा के अन्तर्गत सुनिश्चित की जाये।

संलग्नकः उत्तर प्रदेश के विकास हेतु
शासन का एजेण्डा।

भवदीय

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) राज्य योजना आयोग–1 नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(राज प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश के विकास हेतु
शासन का एजेण्डा

सूत्र सं0	सूत्र का विवरण	क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी विभाग
1	प्रदेश में विकास हेतु वित्तीय संसाधनों के संग्रह का लक्ष्य रू0 73 हजार करोड़ प्राप्त किया जाएगा।	वित्त
2	**भारत सरकार की निम्नलिखित 'फ्लैगशिप स्कीम्स' के अन्तर्गत अधिकाधिक केंद्रीय सहायता प्राप्त कर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।**	
	2.1 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।	कृषि
	2.2 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।	ग्राम्य विकास
	2.3 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।	ग्राम्य विकास
	2.4 इन्दिरा आवास योजना।	ग्राम्य विकास
	2.5 सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान।	पंचायती राज
	2.6 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन।	ग्राम्य विकास
	2.7 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
	2.8 एकीकृत बाल विकास योजना।	महिला एवं बाल विकास
	2.9 सर्व शिक्षा अभियान।	बेसिक शिक्षा
	2.10 मध्यान्ह भोजन।	बेसिक शिक्षा
	2.11 कौशल विकास मिशन।	व्यावसायिक शिक्षा
	2.12 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण मिशन।	ऊर्जा
	2.13 पुनर्गठन त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम।	ऊर्जा
	2.14 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम।	सिंचाई
	2.15 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन।	नगर विकास
	2.16 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम।	समाज कल्याण सेक्टर
कृषि सेक्टर		
1	कृषि के क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए वर्तमान कृषि नीति 2005 की समीक्षा करके नई नीति बनाई जाएगी व उसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।	कृषि
2	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की नई नीति का निर्धारण करके उसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।	उद्यान
3	भारत सरकार की मेगा फूड पार्क स्कीम के अन्तर्गत प्रदेश में अधिकाधिक वित्तीय सहायता प्राप्त कर खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के उद्योगों को विकसित किया जाएगा।	उद्यान/औद्योगिक विकास
4	प्रदेश के समस्त ग्रामों को किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त किया जाएगा।	कृषि/संस्थागत वित्त
5	प्रदेश में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए कृषकों को बेहतर प्रजाति के बीज सही समय एवं सही मूल्य पर उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे बीज प्रतिस्थापन की मानक दर प्राप्त हो सके।	कृषि
6	राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा राज्य वित्त पोषित इसी प्रकार की योजनाओं का पूरे प्रदेश में प्रभावी कार्यान्वयन किया जाएगा।	उद्यान

7	आलू की खेती के समग्र विकास हेतु नीति का निर्धारण कर उसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।	उद्यान
8	वैद्यनाथन कमेटी द्वारा संस्तुत वित्त पोषण के माध्यम से जिला सहकारी बैकों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।	सहकारिता
9	गन्ने के बीज की उन्नत प्रजातियों का विकास किया जाएगा तथा बीज उत्पादन करके किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा जिससे गन्ने की खेती की उत्पादकता में वृद्धि हो।	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
10	गन्ना सूचना प्रणाली का प्रयोग करते हुए गन्ना किसानों की समस्या का ई–समाधान कराया जाएगा।	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
11	उन्नत प्रजनन सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार करते हुए पशुधन का विकास किया जाएगा।	पशुधन
12	पशुपालन क्षेत्र (विशेषकर पोल्ट्री उत्पादन) में उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हुए उद्योगों का विकास किया जाएगा।	पशुधन/औद्योगिक विकास
13	मत्स्य विकास योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों/जलाशयों का प्रभावी आच्छादन किया जाएगा।	मत्स्य/राजस्व/सिंचाई
14	लखनऊ में पांच लाख लीटर क्षमता वाली एक वृहद डेयरी की स्थापना की जाएगी।	दुग्ध विकास
उद्योग , अवस्थापना एवं लोक निर्माण सेक्टर		
1	उद्योगों में त्वरित विकास करने के लिए औद्योगिक नीति 2004 की समीक्षा करते हुए नई औद्योगिक नीति बनाई जाएगी एवं उसका प्रभावी कियान्वयन किया जाएगा।	औद्योगिक विकास
2	उद्योग बन्धु को सुदृढ़ बनाते हुए उसके माध्यम से उद्योगों की त्वरित स्वीकृति तथा समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित कराया जाएगा।	औद्योगिक विकास
3	राज्य में पी.पी.पी. के आधार पर सड़कों के निर्माण एवं अनुरक्षण की नीति बनाते हुए सड़कों का विकास किया जाएगा। विशेषकर आगरा–लखनऊ के बीच एक्सप्रेसवे का निर्माण तथा गाजियाबाद में नार्दन पेरीफेरल रोड का निर्माण किया जाएगा।	अवस्थापना विकास / आवास/ लोक निर्माण
4	असंतृप्त ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जाएगा।	लोक निर्माण
5	समस्त जिला मुख्यालयों को 04 लेन सड़कों से जोड़ा जाएगा।	लोक निर्माण
6	अधूरे सेतुओं का निर्माण पूर्ण किया जाएगा।	लोक निर्माण
7	आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई आई0टी0 औद्योगिक विकास नीति एवं समेकित आई0टी0 शिक्षा नीति बनाते हुए उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा।	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स
8	आई0टी0 सिटी की योजना का निर्धारण करते हुए उसका प्रभावी कियान्वयन किया जाएगा। इस योजना को सर्वप्रथम लखनऊ में क्रियान्वित किया जाएगा।	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स
9	ई–गवर्नेन्स को पूरे प्रदेश में विस्तारित किया जाएगा जिससे नागरिकों को जनसेवाएं सुविधाजनक रूप से सुलभ हो सकें।	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स
10	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर की स्थापना करते हुए बौद्ध परिपथ के अन्तर्गत स्थलों का पर्यटन विकास किया जाएगा।	पर्यटन

11	आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।	अवस्थापना विकास
12	मथुरा–वृन्दावन–गोवर्धन क्षेत्र के पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए उसका सौन्दर्यीकरण किया जाएगा तथा तीर्थयात्रा को सुगम एवं सुविधाजनक बनाते हुए पर्यटन का विकास किया जाएगा।	पर्यटन
13	उ0प्र0 जैव प्रौद्योगिकी नीति का निर्धारण कर इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा।	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
विद्युत सेक्टर		
1	प्रदेश में विद्युत उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु जवाहरपुर, अनपरा "डी", हरदुआगंज विस्तार, पनकी तथा ओबरा "सी" तापीय परियोजनाओं को पूर्ण किया जाएगा।	ऊर्जा
2	फीडर सेपरेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि व ग्रामीण फीडर अलग करते हुये मीटर लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति में सुधार किया जाएगा।	ऊर्जा
3	विद्युत पारेषण के क्षेत्र में सब–स्टेशनों तथा लाइनों का निर्माण करके क्षमता वृद्धि की जाएगी। इसमें पी.पी.पी. माडल पर भी परियोजनाओं को लागू किया जाएगा।	ऊर्जा
4	प्रदेश में सौर ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन की नीति का निर्धारण करते हुए उसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत
शिक्षा सेक्टर		
1	प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी क्रान्ति के युग का प्रारम्भ करने हेतु कक्षा–10 उत्तीर्ण विद्यार्थियों को टेबलेट तथा कक्षा–12 उत्तीर्ण विद्यार्थियों को लैपटॉप उपलब्ध कराया जाएगा।	माध्यमिक शिक्षा
2	कन्या विद्याधन योजना के माध्यम से बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित किया जाएगा।	माध्यमिक शिक्षा
3	उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने हेतु नीति निर्धारण करते हुए शिक्षण संस्थाओं का विस्तार किया जाएगा।	उच्च शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा / चिकित्सा शिक्षा / व्यवसायिक शिक्षा / कृषि शिक्षा
4	प्रदेश में उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं (आई0आई0टी0 स्तरीय) का विकास किया जाएगा।	प्राविधिक शिक्षा
5	अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी।	प्राविधिक शिक्षा / उच्च शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा / बेसिक शिक्षा / व्यावसायिक शिक्षा
6	उच्च शिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रम परिवर्धन के माध्यम से शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि की जाएगी।	उच्च शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा / चिकित्सा शिक्षा / कृषि शिक्षा / व्यावसायिक शिक्षा
7	उच्च शिक्षण संस्थाओं का NAAC से मूल्यांकन कराकर उनकी गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा।	उच्च शिक्षा
8	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का प्रभावी कियान्वयन किया जाएगा।	माध्यमिक शिक्षा
9	अध्यापकों के वेतन, पेंशन तथा जी.पी.एफ. से संबंधित व्यवस्था का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा।	बेसिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा

स्वास्थ्य सेक्टर		
1	नियमित टीकाकरण कार्यक्रम का प्रभावी कियान्वयन किया जाएगा।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
2	प्रदेश में इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का संचालन प्रारम्भ किया जाएगा जिससे आम–जन को आकस्मिक चिकित्सा तथा परिवहन की सुविधा सुगमता से उपलब्ध कराई जा सके।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
3	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रभावी कियान्वयन करते हुए गरीबी की रेखा से नीचे के सभी परिवारों को आच्छादित किया जाएगा।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
4	राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ट्रामा सेंटर की स्थापना की जाएगी।	चिकित्सा शिक्षा
5	राजकीय मेडिकल कॉलेजों में गहन चिकित्सा कक्ष (आई0सी0यू0) स्थापित कर संचालित किए जाएंगे।	चिकित्सा शिक्षा
6	कैंसर के उपचार हेतु लखनऊ में एक उच्च स्तरीय संस्थान की स्थापना की जाएगी।	चिकित्सा शिक्षा
सामाजिक सुरक्षा सेक्टर		
1	समस्त प्रकार की छात्रवृत्ति का वितरण समय से कराया जाएगा तथा इसकी सुगम एवं पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। विशेष रूप से दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए इसकी कमियों का निराकरण किया जाएगा।	समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/ अल्पसंख्यक कल्याण/विकलांग कल्याण
2	सभी पात्र व्यक्तियों को आच्छादित करते हुए समस्त प्रकार की सामाजिक सहायता पेंशन का वितरण समय से कराया जाएगा तथा इसकी सुगम तथा पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।	समाज कल्याण/ विकलांग कल्याण/महिला कल्याण
3	अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं जेसे मल्टी सेक्टोरल विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री का 15–सूत्री कार्यक्रम आदि का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।	अल्पसंख्यक कल्याण
4	मदरसों में तकनीकी शिक्षा का प्रसार किया जाएगा।	अल्पसंख्यक कल्याण
ग्राम्य विकास सेक्टर		
1	डा. राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए पांच वर्षों में 10,000 ग्रामों को संतृप्त किया जाएगा।	समग्र ग्राम विकास
2	बुन्देलखण्ड पैकेज का प्रभावी कियान्वयन किया जाएगा।	नियोजन
3	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत धनराशि का जनोपयोगी योजनाओं में आवंटन करते हुए गुणवत्ता परक परियोजनाएं कियान्वित की जाएंगी।	पंचायती राज
4	विकास खण्डों की क्षमताओं में वृद्धि कर उन्हें इस योग्य बनाया जाएगा कि वे शासकीय योजनाओं का प्रभावी कियान्वयन कर सके।	ग्राम्य विकास
5	सामजिक–आर्थिक एवं जातीय आधारित जनगणना–2011 (SECC-2011) को पूर्ण कराया जाएगा।	ग्राम्य विकास
सिंचाई सेक्टर		
1	नहरों की सफाई की पारदर्शी व्यवस्था बनाते हुए उसका प्रभावी कार्यान्वयन किया जाएगा तथा उसका सोशल ऑडिट सुनिश्चित कराया जाएगा।	सिंचाई

2	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं का प्रभावी कियान्वयन किया जाएगा तथा उनके कियान्वयन व सत्यापन की पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाएगी।	सिंचाई
3	विद्युतीकरण हेतु निजी नलकूपों का लक्ष्यानुसार ऊर्जीकरण किया जाएगा।	लघु सिंचाई/ऊर्जा
4	बुन्देलखण्ड में सतही जलसंसाधनों का विकास (चेकडैम निर्माण) किया जाएगा।	लघु सिंचाई/भूगर्भ जल संसाधन
खाद्य एवं रसद सेक्टर		
1	सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया जाएगा।	खाद्य एवं रसद
2	प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न भण्डारण क्षमता का विकास किया जाएगा।	खाद्य एवं रसद
नगरीय सुविधाएं सेक्टर		
1	नयी राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति बनाकर लागू की जाएगी।	आवास एवं शहरी नियोजन
2	समस्त नगर निकायों में तेरहवें वित्त आयोग में अधिसूचित सेवा–मानक स्तर के अनुसार नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।	नगर विकास
3	विकास शुल्क, नगरीय विकास शुल्क तथा भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क हेतु नियमावलियों का निर्धारण किया जाएगा।	आवास एवं शहरी नियोजन
4	नगर निकायों में सॉलिड वेस्ट प्रबंधन परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा।	नगर विकास
5	राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGBRA) द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा।	नगर विकास
6	बड़े शहरों में नगरीय यातायात में सुधार किया जाएगा।	नगर विकास/आवास/परिवहन/गृह
7	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की पी.पी.पी. माडल के अन्तर्गत स्थापना की जाएगी।	आवास एवं शहरी नियोजन
8	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जय प्रकाश नारायण इण्टरनेशनल कन्वेनशन सेन्टर की स्थापना की जाएगी।	आवास एवं शहरी नियोजन
श्रम सेक्टर		
1	प्रदेश के बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।	श्रम
2	लेबर सेस का संग्रह करते हुए भवन निर्माण में लगे हुए श्रमिकों के कल्याणार्थ उसका प्रभावी उपयोग किया जाएगा।	श्रम
3	प्रवासी भारतीय कर्मकार प्रकोष्ठ का गठन करते हुए कर्मकारों का हित संरक्षण किया जाएगा।	श्रम
अन्य कार्यक्रम		
1	विभिन्न विभागों की 75 प्रतिशत से अधिक भौतिक प्रगति प्राप्त अवस्थापनाओं को पूर्ण किया जाएगा तथा इन सभी तथा पूर्व निर्मित भौतिक अवस्थापनाओं को जनोपयोगी बनाया जाएगा।	नियोजन

2	निर्माण एजेन्सियों की क्षमता वृद्धि की जाएगी तथा उनकी समीक्षा कर उनकी गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा।	वित्त/नियोजन/निर्माण एजेन्सियों से संबंधित विभाग
3	विकास कार्यों के सत्यापन, मूल्यांकन तथा प्रभाव मूल्यांकन (impact assessment) की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।	नियोजन
4	प्रदेश के विकास हेतु बाह्य सहायतित परियोजनाओं में अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त कर उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।	बाह्य सहायतित
5	प्रदेश के कोषागारों के समस्त भुगतानों को ई–पेमेंट के माध्यम से करते हुए कोषागारों को चैक रहित किया जाएगा।	वित्त
6	सरकारी ठेकों में ई–टेण्डर/ ई–प्रोक्योरमेंट प्रणाली लागू की जाएगी जिससे सरकारी खरीद में पारदर्शिता आ सके।	वित्त/आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स
7	निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों आदि के साथ सहमति ज्ञापन (MoU) निष्पादित करते हुए उनके कार्यों में सुधार लाया जाएगा।	सार्वजनिक उद्यम/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा
8	जनपयोगी विभागों में रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरा जाएगा।	कार्मिक
9	जनहित गारण्टी अधिनियम में अधिकाधिक जनसेवाओं को आच्छादित करते हुए जनसेवाओं में समयशीलता का पालन कराया जाएगा।	राजस्व/आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स
10	तहसीलों की क्षमताओं में वृद्धि कर उन्हें इस योग्य बनाया जाएगा कि वे जनोपयोगी सेवाओं को प्रभावी ढंग से उपलब्ध करा सकें।	राजस्व
11	तहसील दिवस की व्यवस्था के माध्यम से जनशिकायतों का निस्तारण कराया जाएगा।	राजस्व
12	न्यायालयों की आवासीय/अनावासीय केन्द्र द्वारा वित्त पोषित योजनाओं की समीक्षा करते हुए उनके प्रगति लाई जाएगी।	न्याय
13	प्रदेश में स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस की व्यवस्था लागू की जाएगी।	परिवहन

नोटः– चुनाव घोषण–पत्र की शेष घोषणाएं जैसे–जैसे योजनाओं में परिवर्तित होती जाएंगी उनको भी उक्त एजेण्डा सूची में शामिल कर लिया जायेगा।